(131)

संख्या 1997/XVIII(II)/2012–18(73)/2012

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 9 अक्टूबर ,2012

विषयः–नव सृजित तहसील, चिन्यालीसौड़ जनपद उत्तरकाशी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 0.063 है0 भूमि राजस्व विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–9408/नौ/45/2004–05 दिनांक–17.07.2012 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, नव सृजित तहसील चिन्यालीसौड जनपद उत्तरकाशी के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित मौजा नागणी बडी पट्टी बिष्ट तहसील चिन्यालीसौड के खसरा संख्या–395 रकबा 0.025 है0, खसरा नं0–396 रकबा 0.020 है0 एवं खसरा नं0–397 म रकबा 0.018 है0 अर्थात कुल 0.063 है0 भूमि, जो उत्तराखण्ड सरकार के नाम श्रेणी–9(3)ड़ में दर्ज अभिलेख है, वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–02–02 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राजस्व विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पडी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु, तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(6)

भवदीय,
ह0/ 08/10/2012
(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0संख्या– /समदिनांकित/2012
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन को कृषि विभाग के पत्र संख्या–941/XIII–1/2012–01(37)/2011 दिनांक–26.09.2012 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि चूंकि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित कर दी गयी है। अतः इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी के पूर्व प्रस्ताव के क्रम में उपरोक्त प्रयोजन हेतु कृषि विभाग के स्तर से भूमि आवंटित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
3– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
5– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय देहरादून।
6– प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।